

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी :- हरभान मीणा आर.ए.एस.

अपील संख्या 07/2018/225 आरटीए

जसपालसिंह पुत्र सुखदेवसिंह जाति जटसिख निवासी चन्दडा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

—: अपीलान्ट

**बनाम**

1. हरिन्द्रसिंह पुत्र जसपालसिंह जाति जटसिख निवासी चन्दडा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. जसपिन्द्रसिंह कौर पत्नि जसपालसिंह जाति जटसिख निवासी चन्दडा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़।

—: रेस्पोजेन्टान

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 13.12.2016 न्यायालय सहायक कलैक्टर हनुमानगढ़  
प्रकरण संख्या 455/2016

उपस्थित :-

श्री शमशेरसिंह संधू अधिवक्ता अपीलान्ट

श्री खुशप्रीत सिंह संधू अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट सं० 1 व 2

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट सं० 3

निर्णय

दिनांक 12.01.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोजेन्ट सं. 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 व 53 आरटीए पेश किया कि अपीलांट के नाम चक 1 एनडब्ल्यूएन मे 4.091 है० व चक 5 एलएलडब्ल्यू मे 2.024 है० व चक 20 एमकेएस मे 0.076 है० आराजी दर्ज है जिसमे से चक 1 एनडब्ल्यूएन की 4.091 है० व चक 5 एलएलडब्ल्यू की 0.253 है० आराजी रेस्पोजेन्ट सं. 1 के नाम करवाने की अपीलांट की सहमति दर्शाते हुये अनुबंध पत्र संलग्न करते हुए पेश किया जिसमे विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।
2. अपीलान्ट व रेस्पोजेन्ट संख्या 1 व 2 ने अदालत में हाजिर आकर इन कथनो के साथ राजीनामा पेश किया कि हरिन्द्र सिंह अपीलांट का पुत्र है तथा जसपिन्द्र कौर अपीलांट की पत्नि है। अपीलांट द्वारा सहायक कलैक्टर हनुमानगढ़ के आदेश दिनांक 13.12.16 प्रकरण संख्या 455/2016 के विरुद्ध उक्त अपील प्रस्तुत की है। दोनो पक्षकारो का लोक अदालत भावना से आपस मे राजीनामा हो गया है तथा मुताबिक राजीनामा अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.12.2016 को अपास्त किया जाता है तथा आदेश दिनांक 13.12.2016 के पूर्व की स्थिति बहाल करने हेतु तहसीलदार हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है तो रेस्पोजेन्ट सं. 1 व

- 2 को कोई उजर व ऐतराज नहीं है। अतः मुताबिक राजीनामा अपील का निस्तारण किया जावे।
3. उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई
  4. विद्वान अधिवक्तागण अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 दौराने बहस राजीनामा मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुताबिक राजीनामा अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। विचारणीय न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त कर अपीलाधीन आदेश से पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने का आदेश पारित किये जाने कथन किया।
  5. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रकरण में विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावे।
  6. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 एक ही परिवार के सदस्य है तथा रेस्पोंड सं. 1 अपीलांट का पुत्र व रेस्पोंड सं. 2 अपीलांट की पत्नि है। जिनके द्वारा राजीनामा पेश किया गया है तथा मुताबिक राजीनामा अपील स्वीकार किये जाने कथन किया गया है। ऐसी स्थिति मे अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जाना न्यायोचित है।
  7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलान्ट मुताबिक राजीनामा स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.12.2016 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख की अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.12.2016 की पूर्व की स्थिति बहाल की जावे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस.  
राजस्व अपील अधिकारी  
हनुमानगढ़

डिक्री व सीगे अपील  
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़  
बड़जलास हरभान मीणा आर0ए0एस0  
अपील संख्या 217/2011/223 आरटीए

सुखमन्द्र सिंह उर्फ सुखमहेन्द्र सिंह पुत्र जरनैलसिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला  
सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़। —: अपीलान्ट

**बनाम**

1. बलवंतसिंह उर्फ बन्तासिंह पुत्र जरनैलसिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. गुरचरण सिंह पुत्र जरनैलसिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. सुखपालसिंह पुत्र गुरतेजसिंह जाति जटसिख निवासी बहादरगढ़ जण्डिया तहसील व जिला बठिण्डा पंजाब।
4. नेमपाल सिंह पुत्र गुरतेजसिंह जाति जटसिख निवासी बहादरगढ़ जण्डिया तहसील व जिला बठिण्डा पंजाब।
5. छिन्द्रपाल कौर पुत्री गुरतेजसिंह जाति जटसिख निवासी बहादरगढ़ जण्डिया तहसील व जिला बठिण्डा पंजाब।
6. हरगोविन्द सिंह पुत्र करतारसिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
7. हमीर सिंह उर्फ मखनसिंह पुत्र अजमेरसिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
8. नाजमसिंह पुत्र अजमेर सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
9. निर्मलकौर पुत्री अजमेर सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

10. दर्शनसिंह पुत्र गुरबक्श सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
11. दलीप सिंह पुत्र गुरबक्श सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
12. जगसीर सिंह पुत्र हरफूल सिंह पुत्र गुरबक्श सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
13. करनैलसिंह पुत्र मेहरसिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
14. करतारसिंह पुत्र मेहरसिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
15. मुख्त्यार कौर पुत्री मेहरसिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
16. प्रताप कौर पत्नि गुरबक्श सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
17. गुरदीप सिंह पुत्र जवाहर सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
18. बलविन्द्र सिंह पुत्र जवाहर सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
19. बलजीत सिंह पुत्र जवाहर सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
20. जसवीर कौर पुत्री जवाहर सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
21. बलदेव कौर पत्नि जवाहर सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

22. नाजर सिंह पुत्र जंगसिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
23. पालासिंह पुत्र जंगसिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
24. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा संगरिया।
25. शाखा प्रबन्धक श्रीगंगानगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा नुकेरा।
26. शाखा प्रबन्धक श्रीगंगानगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा संगरिया।
27. शाखा प्रबन्धक पंजाब नैशनल बैंक शाखा संगरिया।
28. उप पंजीयक संगरिया।
29. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

—: रेस्पोजेन्टान

अपील विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी संगरिया प्रकरण संख्या 21/2007 अनवानी सुखमन्द्र सिंह उर्फ सुखमहेन्द्र सिंह बनाम बलवंतसिंह उर्फ बन्तासिंह आदि मे पारित निर्णय दिनांक 25.08.2011 को निरस्त करने हेतु

आज यह अपील रुबरू हाजिर श्री नवीन कुमार मोदी अधिवक्ता अपीलान्ट, श्री बलविन्द्र सिंह अधिवक्ता रेस्पोजे सं० 1, श्री महेन्द्र सिंह संधू अधिवक्ता रेस्पोजे सं. 2, श्री रोहित सिंह खींची अधिवक्ता रेस्पोजे सं. 3 ता 9 एवं श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोजे सं० 29 की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.08.2011 व डिक्री दिनांक 25.08.2011 को निरस्त किया जाता है तथा मुताबिक राजीनामा चक नं० 9 एन.के.आर. प०नं० 135/149 मु०नं० 11 किला नं० 19/.127, 22/.253 कुल 0.380 है० प०नं० 135/150 मु०नं० 12 किला नं० 2, 9, 10/.253प्रं. कुल 0.759 है०, प०नं० 133/150 मु०नं० 14 किला नं० 5/.228, 6/.253, गै.मु./0.025 कुल 0.506 है०, प०नं० 127/152 मु०नं० 25 किला नं० 1-9ता 12, 19 ता 22/.253प्रं. कुल 2.277 है० कुल तादादी 3.922 है०, अर्थात् 15.50 बीघा, चक नं० 9 एन.के.आर. किला नं० 12/.126 व 19/.253, तादादी 0.379 है०, चक नं० 7 एन.के.आर. प.नं०

136/149 मु०नं० 11 किला नं० 1 ता 4,/.253प्रं. 5-6/.228प्रं., किला नं० 7 ता 10/.253प्रं., गै.मु./051 कुल 2.531 है०, प०नं० 137/149 मु०नं० 12 किला नं० 7 ता 14/.253प्रं. कुल 2.024 है०, प०नं० 135/157 मु०नं० 56 किला नं० 3/.253, 8/.253, 9/.126, 12/.063, कुल 0.695 है० कुल तादादी 5.250 है० अर्थात् 20.75 बीघा का सुखमन्द्र सिंह पुत्र जरनैलसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं चक नं० 9 एन.के.आर. प०नं० 135/149 मु०नं० 11 किला नं० 3-4/.228प्रं., 5/.202, 6/.228, 7 ता 9, 12 ता 14/.253प्रं., 15/.228, 16/.228, 17-18/.253प्रं., 19/.126, 23-24/.253प्रं., 25/.228, गै.मु./202, कुल 4.427 है०, प०नं० 135/150 मु०नं० 12 किला नं० 3-4/.253प्रं., 8/.253, कुल 0.759 है०, प०नं० 127/152 मु०नं० 25 किला नं० 2-3-8-13-14-16 ता 18, 23, 24/.253प्रं. कुल 2.530 है० कुल तादादी 7.716 है० अर्थात् 30.49 बीघा, चक नं० 6 एन.के.आर. प०नं० 139/151 मु०नं० 30 किला नं० 16/.253 कुल 0.253 है० प०नं० 139/153 मु०नं० 39 किला नं० 20, 21/.253प्रं. कुल 0.506 है० प०नं० 138/153 मु०नं० 40 किला नं० 16/.228, 17-18/.253प्रं. गै.मु./025 कुल 0.759 है. कुल तादादी 1.518 है० अर्थात् 6 बीघा का गुरचरणसिंह पुत्र जरनैलसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व चक नं० 15 ए.एम.पी. के खाता सं० 21/8 के प०नं० 139/160 (22) किला नं० 16, 25 तथा इसी चक 15 ए.एम.पी. के खाता सं० 21/8 में पत्थर नं० 140/160 (23) किला नं० 21, 22 कुल तादादी 1.012, चक नं० 15 ए.एम.पी. के खाता सं० 45/60 में प०नं० 139/160 (22) किला नं० 23, 24 तथा चक नं० 15 ए.एम.पी. के खाता सं० 45/60 में प०नं० 140/160 (27) किला नं० 1 तथा चक नं० 15 ए.एम.पी. के खाता सं० 45/60 में प०नं० 139/161 (28) किला नं० 3/2/.126 व किला नं० 4 तादादी 1.138 है०, चक नं० 7 एन.के.आर. के खाता सं० 9/6 में पत्थर नं० 139/149 (11) किला नं० 10/.126, किला नं० 11 ता 25 तादादी 3.795 है० अर्थात् 15-1/2 बीघा, चक 15 ए.एम.पी. के खाता संख्या 15/24 प०नं० 139/160 मुरब्बा नं० 22 किला नं० 16-25/.253 है० कुल .506 है०, प०नं० 140/160 मु०नं० 23 किला नं० 21/.253, 22/.228 कुल .481 है०, मु०नं० 67 किला नं० 1/0.025 गै.मु. खाला, कुल बीघा 5

अर्थात् 1.012 है० खाता का कुल योग 4.50 बीघा का बलवन्त सिंह उर्फ बन्तासिंह पुत्र जरनैलसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। मुताबिक राजीनामा चक नं० 9 एन.के.आर. पं०नं० 135/149 मु०नं० 11 में गुरचरण सिंह किला नं० 5/.127, 6-15-16-25/.253 है०प्रं. को सुखमन्द्र सिंह के हक में छोड़ेगा। चक नं० 9 एन.के.आर. के प०नं० 135/149 मु०नं० 11 में सुखमन्द्र सिंह किला नं० 19/.127, किला नं० 22/.253 तथा प०नं० 135/150 मु०नं० 12 किला नं. 2, 9, 10/.253 है०प्रं. को गुरचरणसिंह के हक में छोड़ेगा। चक नं० 9 एन.के.आर. खाता संख्या 36/39 में जरनैलसिंह पुत्र ठोलासिंह कौम जटसिख साकिन जण्डवाला खातेदार जो कि अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्ट के पिता थे तथा जिनकी मृत्यु हो चुकी है, के नाम प०नं० 134/150 मु०नं० 13 किला नं० 14/.253 है० सुखमन्द्र सिंह प्राप्त करेगा जिस पर गुरचरण सिंह व बलवंत सिंह को कोई एतराज नहीं होगा। इसी अनुसार भू-राजस्व कायम किया जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। पत्रावली फैंसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 14.09.2017 को जारी की गई।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस.  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
हनुमानगढ